

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 442 / 2006
संस्थान दिनांक 28.07.2006

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

समरोज बेग पिता इलीयाज बेग, आयु 40 वर्ष
निवासी- पिपल्या मंडी रेल्वे स्टेशन के पास
थाना पिपल्या मंडी, जिला मंदसौर म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 29.10.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 139 / 2006 अंतर्गत 279, 337, 338, 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 28.07.2006 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 29.05.2006 को रात्रि लगभग 2:30 बजे, ए.बी. रोड़ खुरमपुरा दरान्या के मध्य थाना ठीकरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 44 जे. 0477 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच. एफ. 0180 को टक्कर मारकर फरियादीगण दिनेश, लालसिंह एवं देवेन्द्र का मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच. एफ. 0180 को टक्कर मारकर दिनेश को उपहति कारित करने, फरियादी लालसिंह को घोर उपहति कारित करने तथा देवेन्द्र का जीवन संकटापन्न होना संभव बनाकर उसे टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 337, 338, 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी दिनेश वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 0180 पर क्लिनर है तथा लालसिंह उक्त ट्रक पर प्रथम चालक एवं देवेन्द्र द्वितीय चालक है। घटना दिनांक 29.05.2006 को उक्त ट्रक में पीथमपुर से लोहा भरकर जालना (महाराष्ट्र) जा रहे थे कि लगभग 2:30 बजे खुरमपुरा के आगे खुरमपुरा-मदरान्या फाटे के मध्य पहुँचे कि जुलवानिया की ओर से एक वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 44 जे. 0477 का चालक अपने ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया व फरियादी के ट्रक को टक्कर मार दी जिससे फरियादी दिनेश को नाक, बायें हाथ की कोहनी, बायें पैर के घुटने के नीचें चोंटें आई तथा देवेन्द्र को सिर, पैर एवं हाथ चोंटें आई तथा लालसिंह को सिर तथा शरीर पर चोंटें आई। फरियादी दिनेश लालसिंह एवं देवेन्द्र को ठीकरी अस्पताल लेकर आया जहाँ देवेन्द्र की मृत्यु हो गई। पुलिस ने फरियादी दिनेश द्वारा की गई घटना की रिपोर्ट के आधार पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 44 जे. 0477 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 139/2006 अंतर्गत धारा 279, 337, 304-ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 9 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी दिनेश की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 बनाया। पुलिस ने वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 0180 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 5 बनाया। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक क्रमांक एम.पी. 44 जे. 0477 को जप्त कर प्रदर्शपी 6 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त के पेश करने पर उक्त वाहन के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 7 का जप्ती पंचनामा बनाया की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 7 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री एम.के.जैन, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338, 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.05.2006 को रात्रि लगभग 2:30 बजे, ए.बी. रोड़ खुरमपुरा दरान्या के मध्य थाना ठीकरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 44 जे. 0477 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच. एफ. 0180 को टक्कर मारकर फरियादीगण दिनेश, लालसिंह एवं देवेन्द्र का मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच. एफ. 0180 को टक्कर मारकर फरियादी दिनेश को उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच. एफ. 0180 को टक्कर मारकर फरियादी लालसिंह को घोर उपहति कारित की ?

4. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच. एफ. 0180 को टक्कर मारी जिससे देवेन्द्र का जीवन संकटापन्न होना संभव बनाकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में सहायक उपनिरीक्षक प्रकाश पारासर (अ.सा.1), शुभनारायण मिश्रा (अ.सा.2) एवं औंकार (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 4 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चारों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में आँकार असा 3 का कथन है कि वह मृतक देवेन्द्र को जानता है। मृतक देवेन्द्र की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी। सफीना फार्म प्रदर्शपी 1 एवं देवेन्द्र के शव का नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 2 पुलिस ने बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. शुभनारायण मिश्रा असा 2 का कथन है कि दिनांक 29.05.2006 को फरियादी दिनेश पिता मोहन निवासी संधवा ने वाहन क्रमांक एम.पी. 44 जे. 0477 के चालक के विरुद्ध ट्रक को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर फरियादी के ट्रक को टक्कर मारकर देवेन्द्र की मृत्यु कारित करने के संबंध में प्रदर्शपी 10 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी ने वाहन चालक का नाम नहीं लिखाया था।

9. प्रकाश पारासर असा 1 का कथन है कि दिनांक 29.05.2006 को उसने देवेन्द्र की मृत्यु के संबंध में सफीना फार्म प्रदर्शपी 1 और नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने देवेन्द्र के शव को परीक्षण हेतु भेजा था जिसका आवेदन प्रदर्शपी 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 0180 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 5 का बनाया था तथा घटनास्थल से ट्रक क्रमांक एम.पी. 44 जे. 0477 प्रदर्शपी 6 के अनुसार जप्त किया तथा प्रदर्शपी 5 एवं 6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने ट्रक मालिक श्रीलाल से ट्रक के दस्तावेज प्रदर्शपी 7 के अनुसार जप्त किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने समस्त कार्यवाही असत्य रूप से की है।

10. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है तथा न्यायालय द्वारा बार-बार समंस तथा वारंट जारी किये जाने पर भी साक्षियों को उपस्थित नहीं रखे जाने से उन्हें अदम पता घोषित किया गया। परीक्षित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को उक्त ट्रक क्रमांक एम.पी. 44 जे. 0477 को लोक मार्ग पर उपेक्षपूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर लालसिंह, देवेन्द्र एवं दिनेश का जीवन संकटापन्न करने, दिनेश को साधारण एवं लालसिंह को गंभीर उपहति कारित करने तथा देवेन्द्र की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उसे आरोपित अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त समरोज के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता हैं अतएव अभियुक्त समरोज को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 337, 338, 304-ए भा.दं.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त को अभिरक्षा से रिहा किया गया।

12. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 44 जे. 0477 दिनांक 31.05.2006 को उसके पंजीकृत स्वामी श्याम जी बंसल पिता सदालाल बंसल निवासी- 34 जैन कॉलोनी नीमच म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दिया गया। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी